संख्या 904 /उन्तीस(2)/08–(01पे0)/2008

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी।

पेयजल अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 19 मई, 2008

विषय :– इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, अप्रैल, उत्तराखण्ड जल संस्थान के पत्र संख्या 5255/अप्रै0–03/हैण्डपम्प/2007–08 दिनांक 29.12.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजना के अन्तर्गत इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु रू0 77.46 लाख के प्राक्कलनों पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 76.26 लाख (रूपये छिहत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. जिला योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार आहरण के पूर्व जनपदवार जिला नियोजन एंव अनुश्रवण समिति के द्वारा अनुमोदित परिव्यय एंव योजनाओं के अनुरूप ही किया जायेगा। परिव्यय से अधिक धनराशि के आहरण का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का ही माना जायेगा।

3. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता /नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में वास्तवित आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन को तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

4. हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 3093/उन्तीस/05–2(50पे0)/2004 दिनांक 18 जनवरी, 2005 एवं शासनादेश संख्या 1016 /उन्तीस/05–2–पे0/2005, दिनांक 15 अप्रैल, 2005 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6. कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

.....2

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2009 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उक्त तिथि तक उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं धनराशि के उपयोग का विवरण मासिक रूप से शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

8. स्वीकृत किये जा रहे हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन ऐसे स्थानों पर किया जायेगा जो क्षेत्र वास्तव में अभावग्रस्त है तथा इसका लाभ अधिक से अधिक जनसंख्या को प्राप्त हो सकें।

9. उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिये जायेगे और विलम्ब यह अन्य कारणों से लागत में किसी प्रकार का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। स्वीकृत लागत में अनुमोदित संख्या से अधिक हैण्ड पम्प नहीं लगाये जायेंगे, जहॉ पूर्व में हैण्डपम्प लगाये जा चुके है वहॉ न लगाकर आवश्यकता के स्थान पर ही अधिष्ठापित किये जायेंगे।

10. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–91–हैण्डपम्पो का अधिष्ठापन (जिला योजना)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

11. यह शासनादेश राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008, दिनांक 24.03.2008 में उल्लिखित निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव

पृ0सं0 4041 /उन्तीस(2)/08–(01पे0)/2008 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री।
8. बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त बजट सेल/नियोजन प्रकोष्ठ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव